केंद्र सरकार के समक्ष कंपनियों के रजिस्ट्रार, एनसीटी दिल्ली

लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप अधिनियम, 2008 की धारा 13 की उप-धारा (3) तथा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप नियम, 2009 के नियम 17 के संबंध में -

लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप अधिनियम, 2008 की धारा 13 (3) के अंतर्गत और **रिवायर्ड विजन एलएलपी** जिसका पंजीकृत कार्यालय ईडी 115, टैगोर गार्डन, न्यू दिल्ली, टैगोर गार्डन, पश्चिम दिल्ली, नई दिल्ली, दिल्ली, भारत – 110027 में स्थित है, याचिकाकर्ता है।

इस द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि, उक्त एलएलपी **लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप** अधिनियम, 2008 की धारा 13 (3) के तहत रजिस्ट्रार ऑफ कंपनिज़, दिल्ली को एक याचिका प्रस्तुत करने का प्रस्ताव कर रही है, जिसमें वह अपने पंजीकृत कार्यालय को **"दिल्ली"** राज्य से **"गुडगांव, हरियाणा"** राज्य में स्थानांतरित करने की अनुमति मांग रही है।

कोई भी व्यक्ति जिसका हित इस प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित हो सकता है, वह इस नोटिस के प्रकाशन की तिथि से 21 (इक्कीस) दिनों के भीतर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनिज़, दिल्ली को एक शपथपत्र द्वारा समर्थित आपत्ति, जिसमें उसके हित की प्रकृति और आपत्ति के आधार उल्लिखित हों, व्यक्तिगत रूप से या पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है/ पहुंचा सकता है। इस आपत्ति की एक प्रति याचिकाकर्ता एलएलपी को भी उसके उपरोक्त पते पर भेजी जाएगी

रीवायर्ड विज़न एलएलपी की ओर से

सही/-

अजय दुआ

निर्धारित भागीदार

तिथि: 19 जून, 2025 — **ईडी 115, टैगोर गार्डन, पश्चिम दिल्ली, नई दिल्ली, दिल्ली, भारत, 110027**

स्थान: दिल्ली

सूचना

रिचा इंडस्ट्रीज लिमिटेड के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 के तहत समझौता/व्यवस्था की योजना प्रस्तुत करने के लिए निमंत्रण - परिसमापन में

ऊपर उल्लिखित रिचा इंडस्ट्रीज लिमिटेड एनसीएलटी, चंडीगढ़ बेंच के **सीपी (आईबी) संख्या 80/चंडीगढ़/हरयाणा/2018 दिनांक** 11.06.2025 में **सीए संख्या** 786/2019 के आदेश के अनुसार परिसमापन के अधीन है और उसी आदेश के अनुसार नीचे हस्ताक्षरकर्ता को कंपनी का परिसमापक नियुक्त किया गया है। यह सार्वजनिक सूचना कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 230 के अनुसार समझौते या व्यवस्था की संभावनाओं का पता लगाने के लिए जारी की गई है, जैसा कि 13वीं और 14वीं सीओसी बैठक में चर्चा/समाधान किया गया था।

प्लॉट संख्या 29, डीएलएफ औद्योगिक क्षेत्र फेज-II, फरीदाबाद में **पंजीकृत कार्यालय**

अत्यंत सद्भावना के साथ और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 के तहत और आईबीबीआई (परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार, यह इच्छुक और वित्तीय रूप से मजबूत व्यक्ति या व्यक्तियों से रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) प्राप्त करने के लिए एक निमंत्रण है, जो आईबीसी 2016 की धारा 29ए सहित इस तरह के योजना प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिए कानून के तहत पात्र हैं। इच्छुक लेनदार/सदस्य परिसमापक की संतुष्टि के लिए आवश्यक दस्तावेजों के निष्पादन पर अग्रिम रूप से सूचना ज्ञापन प्राप्त कर सकते हैं ताकि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 के तहत समझौता या व्यवस्था की योजना के लिए प्रस्ताव एक सीलबंद लिफाफे में या सुरक्षित मेल के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सके और 10 **जुलाई 2025 (गुरुवार)** को या उससे पहले परिसमापक के पते पर कूरियर/पोस्ट किया जा सके। परिसमापक ऐसी शर्तें लगा सकता है जो सफल प्रस्तावक के लिए आवश्यक समझी जा सकती हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वित्तीय प्रतिबद्धता का सम्मान किया जाता है। ईओआई के विस्तृत नियमों और शर्तों पर किसी भी अन्य प्रश्न के लिए, कृपया हमें liq.richa@gmail.com पर एक ईमेल भेजें।

अस्वीकरण

इस विज्ञापन को किसी भी तरह से प्रॉस्पेक्टस या प्रस्ताव दस्तावेज या कंपनी की परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए प्रस्ताव पत्र नहीं माना जाएगा। यह विज्ञापन पात्र आवेदकों के हितों का पता लगाने का दावा करता है और परिसमापक की ओर से किसी भी तरह का बाध्यकारी दायित्व नहीं बनाता है। परिसमापक समय-समय पर आमंत्रण में दी गई जानकारी को इच्छानुसार अद्यतन, संशोधित या पूरक कर सकता है।

हस्ता/-

मोहित चावला- परिसमापक

आईबीबीआई रजि. सं. IBBI/IPA-001/IP-P00524/2017-2018/10949

श्री बालाजी कॉम्प्लेक्स, एससीओ 26, लेवल-III,

तिथि: 23.06.2025 — पुराना अंबाला रोड, ढकौली, मोहाली (पीबी)

स्थान: जीरकपुर — **मो. नं: 9888003303**

कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड

संपत्ति की ऑनलाइन ई-नीलामी बिक्री

पंजीकृत कार्यालय: 27 बीकेसी, सी-27, जी-ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ई), मुंबई,महाराष्ट्र-400051, शाखा कार्यालय: कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, 7वीं मंजिल, प्लॉट नं.-7, सेक्टर-125, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201313

अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(5) व 8(6) के तहत वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना। "पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (जिसे आगे "पीएनबीएचएफएल" कहा जाएगा)द्वारा द्वारा कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के पक्ष में ऋण के असाइनमेंट के बाद, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी (इसके बाद इसे "बैंक/केएमबीएल/सुरक्षित ऋणदाता के रूप में संदर्भित किया गया है) ने 04.02.2025 को सुरक्षित लेनदार के पास गिरवी/चार्ज की गई नीचे वर्णित अचल संपत्ति (इसके बाद इसे सुरक्षित संपत्ति कहा जाएगा) का कब्जा ले लिया है। इसके द्वारा विशेष रूप से उधारकर्ता (ओं) और गारंटर (ओं) और सामान्य रूप से जनता को नोटिस दिया जाता है कि बैंक ने **ऋण खाता संख्या 00306660001663** के अंतर्गत नीचे दिए गए विवरण के अनुसार श्री राकेश कुमार चौहान एवं श्रीमती सुषमा चौहान द्वारा लिया गया ऋण को दिनांक 18.06.2025 तक बकाया **रु.1,62,31,688/- (एक करोड़ बासठ लाख इकतीस हजार छह सौ अठ्ठासी मात्र)** तथा वसूली तक लागू भविष्य ब्याज की वसूली के लिए सरफेसी अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत ई-नीलामी के माध्यम से सुरक्षित संपत्ति को "जैसा है जहां है" "जैसा है, जैसा है", और "जो कुछ है" के आधार पर बेचने का फैसला किया है।

विशेष	विवरण	
नीलामी की तिथि	29.07.2025	
नीलामी का समय	5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ दोपहर 12:00 बजे से 1:00 बजे के बीच	
आरक्षित मूल्य	रु.40,00,000/- (केवल चालीस लाख रुपये)	
बयाना राशि जमा (ईएमडी)	रु.4,00,000/- (केवल चार लाख रुपये)	
केवाईसी के साथ ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि	28.07.2025 सायं 6:00 बजे तक (आईएसटी)	
सुरक्षित संपत्ति का विवरण	ब्लॉक बी-3 में प्रथम तल, टावर-बी, अरावली हाइट्स-1, सेक्टर 24, धारूहेड़ा, जिला रेवाड़ी, हरियाणा-122001 में स्थित फ्लैट संख्या बी-3/13 वाली संपत्ति का समस्त टुकड़ा एवं अंश,जिसका क्षेत्रफल 1590 वर्ग फुट है ।	
ज्ञात भार	10.02.2025 तक आरडब्लूए का बकाया: रु.4,65,118/-(चार लाख पैंसठ हजार एक सौ अठारह मात्र)	

उधारकर्ता का ध्यान प्रतिभूत परिसंपत्ति को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, सरफेसी अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा 8 के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है। जनसाधारण और विशेष रूप से उधारकर्तागण कृपया ध्यान दें कि यदि यहां इसमें अनुसूचित नीलामी किसी भी कारण से विफल हो जाती है तो प्रतिभूत लेनदार निजी संधि के माध्यम से बिक्री बिक्री करके प्रतिभूति हित प्रवर्तित कर सकते हैं। बिक्री के तहत रखी गई परिसंपत्तियों के संबंध में किसी स्पष्टीकरण/आवश्यकता की स्थिति में, बोलीदाता श्री रितेश चौहान (मोबाइल नंबर 917355036788), श्री सुमित सिन्हा (मोबाइल नंबर 919667225900) और श्री अक्षित सोलंकी (मोबाइल नंबर 917302111608) से संपर्क कर सकते हैं। बोलीदाता हेल्पलाइन नंबर (91-9152219751) पर भी संपर्क कर सकते हैं। बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए कृपया कोटक महिंद्रा बैंक की वेबसाइट अर्थात् www.kotak.com तथा/अथवा https://bankauctions.in/ पर उपलब्ध लिंक https://www.kotak.com/en/bank-auctions.html देखें।

स्थान: रेवाड़ी, हरियाणा ,दिनांक: 23.06.2025 — **प्राधिकृत अधिकारी ,कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड**

इलेक्ट्रॉनिका फाइनेंस लिमिटेड

ऑदुंबर, प्लॉट नंबर 101/1, एरंडवाने, डॉ. केतकर रोड, पुणे 411004, महाराष्ट्र, भारत

कब्जा सूचना

[(परिशिष्ट IV) नियम 8(1)]

जबकि **इलेक्ट्रॉनिका फाइनेंस लिमिटेड, एक गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था, पंजीकृत कार्यालय औदुंबर, प्लॉट संख्या** 101/1, **डॉ. केतकर रोड, परांजपे बिल्डर ऑफिसर के सामने, एरंडवाने, पुणे** -411004 (बाद में ''ईएफएल'' से संदर्भित), के प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) (बाद में ''सरफैसी अधिनियम, 2002'' द्वारा संदर्भित) के प्रावधान के अंतर्गत, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आप 1. राजा एंटरप्राइजेज ई-34/ए गली नंबर 17, मधु विहार, पूर्वी दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, नई दिल्ली-110092, 2. सरिता देवी ई ई-34/ए गली नंबर 17, मधु विहार, पूर्वी दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, नई दिल्ली-110092, 3. जय कुमार ई-33 गली नंबर 17, मधु विहार आई.पी. एक्सटेंशन, पूर्वी दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, नई दिल्ली-110092, 4. राजा ट्रेडर्स ई-33, गली नंबर-17, मधु विहार, आई.पी. एक्सटेंशन, पूर्वी दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, नई दिल्ली-110092 को दिनांक 11 **मार्च 2025 को एक मांग सूचना जारी की और 13 मार्च 2025 को प्रकाशित की।**

आपको सूचित किया जाता है कि वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत जारी दिनांक 11 मार्च 2025 का नोटिस उपरोक्त सभी पक्षकारों संख्या 1 से 4 को 15-03-2025 और 17-03-2025 को भेजा जा रहा है, जिसमें आपसे नोटिस में उल्लिखित राशि रु. 61,02,409/- (रुपये इकसठ लाख दो हजार चार सौ नौ मात्र) को ऋण खाता संख्या/संदर्भ: **APPL00024489 (LQAN000005012310) और APPL00078380 (LOAN000005027567)** के माध्यम से उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर ब्याज सहित चुकाने का आह्वान किया गया है।

कर्जदार/गारंटर द्वारा राशि चुकाने में विफल रहने के कारण, कर्जदार और आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि अधोहस्तारी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **17 जून 2025 और 20 जून 2025** को नीचे वर्णित सम्पत्ति क और नीचे वर्णित संपत्ति II पर कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार और आम जनता को एतद्द्वारा चेतावनी दी जाती है कि वे अनुसूची कमें उल्लिखित परिसंपत्ति से लेन-देन न करें और अनुसूची कमें वर्णित परिसंपत्ति से कोई भी लेन-देन **रु. 61,02,409/- (रुपये इकसठ लाख दो हजार चार सौ नौ मात्र)** की राशि के लिए 'ईएफएल' के प्रभार और उस पर ब्याज अन्य शुल्क के अधीन होगा। कर्जदार का ध्यान प्रतिभूत परिसंपत्ति को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधान की ओर आकर्षित किया जाता है।

सम्पत्ति का विवरण

संपत्ति: 1. अचल संपत्ति का समस्त भाग, मकान नंबर ई-34/ए-1, क्षेत्रफल 31.35 वर्ग मीटर, गली नंबर 17, अनधिकृत कॉलोनी मधु विहार नई दिल्ली-92 में स्थित है।

उपर्युक्त संपत्ति की सीमा: पूर्व की ओर: दूसरों की संपत्ति, पश्चिम की ओर: दूसरों की संपत्ति, उत्तर की ओर: दूसरों की संपत्ति, दक्षिण की ओर: सड़क 20 फीट चौड़ी

संपत्ति: 2. अचल संपत्ति का समस्त भाग, प्रथम तल की संपत्ति संख्या ई-33 (नया संख्या ई 33) पर निर्मित, जिसका क्षेत्रफल 50 वर्ग गज यानी 41.80 वर्ग मीटर है, खसरा संख्या 1381/89 में से मधु विहार की आबादी में स्थित है, ग्राम मंडावली फजलपुर, इलाका शाहदरा दिल्ली 110092 के क्षेत्र में स्थित। उपर्युक्त संपत्ति की सीमा निम्नानुसार है: पूर्व की ओर: दूसरों की संपत्ति, पश्चिम की ओर: 20 फीट चौड़ी सड़क, उत्तर की ओर: दूसरों की संपत्ति, दक्षिण की ओर: 25 फीट चौड़ी सड़क

स्थान: दिल्ली — हस्ता./- **अधिकृत प्राधिकारी**

तिथि 24-06-2025 — **कृते इलेक्ट्रॉनिका फाइनेंस लिमिटेड**

IDBI BANK

CIN: L65190MH2004GOI148838

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड: रिटेल रिकवरी: एच 1ए/30, सेक्टर 63, नोएडा – 201307

वेबसाइट: www.idbibank.in

कब्जे का नोटिस [नियम 8(1)]

जबकि अधोहस्ताक्षरी प्राधिकृत अधिकारी ने **आईडीबीआई बैंक लि.** की ओर से वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत तथा नियम 13(12) के सपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन), नियम 2002 (2002 का संख्याक 54) के नियम 3 के तहत दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए **दिनांक 07.01.2022** को एक मॉग नोटिस जारी करके ऋणी **श्री गगन माहेश्वरी** को नोटिस में वर्णित **बकाया राशि रू. 41,68,351/- (रुपये इकतालीस लाख अड़सठ हजार तीन सौ इक्यावन मात्र) दिनांक 08.09.2021 तक, उस पर अतिरिक्त ब्याज और कानूनी खर्च सहित** उक्त नोटिस मिलने की तारीख से 60 दिनों के भीतर अदा करने के लिए कहा गया था ।

ऋणी द्वारा उक्त राशि की अदायगी न करने के कारण ऋणी और जन साधारण को यह सूचना दी जाती है कि अद्योहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 की धारा 13(4) के सपठित नियमों के नियम 8 के अन्तर्गत दिये गये अधिकारों का उपयोग करते हुए निम्नलिखित संपत्तियों का कब्जा **दिनांक 20 जून, 2025** को ले लिया है।

उधारकर्ता को इस नोटिस के द्वारा चेतावनी दी जाती है कि वे निम्नलिखित संपत्तियों से सम्बन्धित कोई लेन-देन न करें तथा संपत्तियों में किया गया कोई भी लेन-देन **आईडीबीआई बैंक लिमिटेड को रू. 41,68,351/- (रुपये इकतालीस लाख अड़सठ हजार तीन सौ इक्यावन मात्र) दिनांक 08.09.2021 तक,** अतिरिक्त ब्याज और कानूनी खर्च के साथ, के अधीन होगा ।

सुरक्षित सम्पत्ति के मोचन में उपलब्ध समय के सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों के लिए उधारकर्ता का ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

संपत्ति का विवरण

संपत्ति का वह सभी भाग व अंश, जिसमें फ्लैट संख्या 1302, 13वीं मंजिल, टावर ए3, श्री वर्धमान गार्डेनिया, बी एम इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने, सेक्टर 10, सोनीपत – हरियाणा 131001 शामिल है।

वर्तमान और भविष्य में होने वाले एकल संरचना और तत्कालीन निमाण।

स्थान: सोनीपत — प्राधिकृत अधिकारी

दिनांक: 20 .06.2025 — आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

फॉर्म-जी

अभिरुचि की अभिव्यक्ति हेतु आमंत्रण

थ्री सी फैसिलिटी मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड (सीआईआरपी में)

गोएडा, उत्तर प्रदेश में रियल एस्टेट उद्योग में संचालित

(दिवाला और शोधन अक्षमता (कॉरपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 36ए के उप-विनियम(1) के अधीन)

प्रासंगिक विवरण

1.	पैन/सीआईएन/एलएलपी संख्या के साथ कॉर्पोरेट देनदार का नाम	थ्री सी फैसिलिटी मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड पैन: AADCT0674K सीआईएन : U80904DL2008PTC185114
2.	पंजीकृत कार्यालय का पता	सी-23 ग्रेटर कैलाश एन्क्लेव, पार्ट- I, नई दिल्ली, भारत - 110048
3.	वेबसाइट का यूआरएल	लागू नहीं
4.	उस स्थान का विवरण जहां अचल संपत्तियों का बहुमत स्थित है	उपलब्ध नहीं
5.	कॉर्पोरेट देनदार के मुख्य उत्पादों/सेवाओं की स्थापित क्षमता	उपलब्ध नहीं
6.	पिछले वित्तीय वर्ष में बेचे गए मुख्य उत्पादों/सेवाओं की मात्रा और मूल्य	उपलब्ध नहीं
7.	कर्मचारियों/वर्कमेन की संख्या	शून्य
8.	दो वर्षों के अंतिम उपलब्ध वित्तीय विवरणों (अनुसूचियों के साथ) लेनदारों की सूचि प्रक्रिया की बाद की घटनाओं हेतु प्रासंगिक तिथियों सहित अधिक विवरण निम्नलिखित यूआरएल पर उपलब्ध है।	अपेक्षित जानकारी cirp.threecfacility@gmail.com पर ईमेल भेजकर प्राप्त की जा सकती है
9.	संहिता की धारा 25(2)(एच) के तहत समाधान आवेदकों के लिए पात्रता मापदंड यूआरएल पर उपलब्ध है:	
10.	रुचि की अभिव्यक्ति प्राप्त करने की अंतिम तिथि	04.07.2025
11.	संभावित संकल्प आवेदकों की अंतिम सूची जारी करने की तिथि	06.07.2025
12.	अंतिम सूची पर आपत्तियां प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	11.07.2025
13.	संभावित समाधान आवेदकों की अंतिम सूची जारी करने की तारीख	12.07.2025
14.	संभावित समाधान आवेदकों को सूचना ज्ञापन, मूल्यांकन मैट्रिक्स और समाधान योजनाओं के लिए अनुरोध जारी करने की तारीख	13.07.2025
15.	समाधान योजना प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	02.08.2025
16.	रुचि की अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने के लिए ईमेल आईडी प्रक्रिया	cirp.threecfacility@gmail.com

हस्ता/-

देवेंद्र उमराव

आईबीबीआई पंजीकरण सं. IBBI/IPA-003/IP-N00223/2019-2020/12640

दिनांक: 24.06.2025 — **पंजीकृत पता: 94-डी, पाकेट एफ, मयूर विहार फेज 2, दिल्ली - 110091**

स्थान: नई दिल्ली — **कृते थ्री सी फैसिलिटी मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड**

Karnataka Bank Ltd.

Your Family Bank. Across India.

परिसंपत्ति वसूली प्रबंधन शाखा
भूखण्ड सं. 8-बी, प्रथम तल, राजेंद्र पार्क
पूसा रोड नई दिल्ली- 110 060

फोन : 011-40591567 (एक्सटेंशन-240)
ई-मेल : delhiarm@ktkbank.com
वेबसाइट : www.karnatakabank.com
सीआइएन : L85110KA1924PLC001128

अचल संपत्ति की बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(1) के परंतुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अचल आस्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना।

आम जनता और विशेष रूप से उधारकर्ता (ओं) और गारंटर (ओं) को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति, जो प्रतिभूत ऋणदाता के पास बंधक /भारित है, जिसका भौतिक कब्जा कर्नाटक बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी, प्रतिभूत ऋणदाता द्वारा क्रमशः 05.09.2023 तथा 14.09.2023 को ले लिया गया है, उसे "जहां है जैसी है", "जो है जैसी है" और "जो कुछ भी है" के आधार पर 30.07.2025 को बेचा जाएगा, जिससे निम्न की वसूली हो सके :-

जो (1) **रु. 1,06,70,672.57 (रुपये एक करोड़ छह लाख सत्तर हजार छह सौ बहत्तर और सत्तावन पैसे मात्र) अर्थात् पीएसओडी खाता संख्या 2257000600015001 के अंतर्गत रु. 71,28,788.85 और पीएसटीएल खाता संख्या 2257001800017101 के अंतर्गत रु. 35,41,883.72, साथ में 01.03.2022 और 28.03.2022 से भावी ब्याज, और क्रमशः लागतें, कर्नाटक बैंक लिमिटेड, फरीदाबाद शाखा, एससीओ 149, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सेक्टर 21सी, फरीदाबाद- 121003, हरियाणा, प्रतिभूत ऋणदाता को (1) मैसर्स एसएसटी इंजीनियर्स एंड ट्रेडर्स, जिसका प्रतिनिधित्व इसके स्वामी श्री त्रिवेणी प्रसाद पांडे द्वारा किया जाता है, प्लॉट नंबर ई-14, संजय कॉलोनी, सेक्टर- 23, फरीदाबाद, हरियाणा- 121000, अन्य पता यहां पर भी : रु 639/3, पुरानी सब्जी मंदिर के समीप, सारन रोड, पर्वतीय कॉलोनी, एनआईटी, फरीदाबाद, हरियाणा- 121005, और (2) श्रीमती सुमन पांडे पत्नी त्रिवेणी प्रसाद पांडे, रु 639/3, पुरानी सब्जी मंदिर के पास, सारन रोड, पर्वतीय कॉलोनी, एनआईटी, फरीदाबाद, हरियाणा- 121005,** उधारकर्ताओं / गारंटरों / सह-दायित्वधारकों के रूप में, की ओर से देय है।

(2) **रु. 1,10,40,212.87 (रुपये एक करोड़ दस लाख चालीस हजार दो सौ बारह और सत्तासी पैसे मात्र) अर्थात् पीडीपीएन खाता संख्या 2257001400011901** के अंतर्गत **रु. 1,81,328.98, पीएसटीएल खाता संख्या 2257001800017001 के अंतर्गत रु. 41,62,555.06 और पीएसटीएल खाता संख्या 2257001800019301 के अंतर्गत रु. 66,96,328.83, साथ में दिनांक 29.03.2022, 28.03.2022 और 01.03.2022 से भावी ब्याज सहित, तथा क्रमशः लागतें, कर्नाटक बैंक लिमिटेड, फरीदाबाद शाखा, एससीओ 149, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सेक्टर 21सी, फरीदाबाद- 121003, हरियाणा, प्रतिभूत ऋणदाता को (1) मैसर्स शिवम एंटरप्राइजेज, जिसका प्रतिनिधित्व इसकी स्वामिनी श्रीमती सुमन पांडे द्वारा किया जाता है, रु 639/3, पुरानी सब्जी मंदिर के समीप, सारन रोड, पर्वतीय कॉलोनी, एनआईटी, फरीदाबाद, हरियाणा- 121005 और (2) श्री त्रिवेणी प्रसाद पांडे पुत्र श्री फूल चंद पांडे रु 639/3, पुरानी सब्जी मंदिर के समीप, सारन रोड, पर्वतीय कॉलोनी, एनआईटी, फरीदाबाद, हरियाणा- 121005**, उधारकर्ताओ / गारंटरों / सह-दायित्वधारों के रूप में, की ओर से देय है।

अचल संपत्ति का विवरण

1. औद्योगिक संपत्ति का वह समस्त भाग जिसमें खसरा संख्या 8/23, 18, 19/1/1, 19/1/2, 19/1/16, 19/1/17, 19/1/18, 19/1/20 से 19/1/29, 19/2/1, 19/2/6, 19/2/7, 19/2/8, 19/2/10, 19/2/13 से 19/2/19, 22/1 से 22/11, 22/17, 22/19 से 22/39, 22/40/1, 22/41, 22742, 22/43 खसरा संख्या 18//2/2/2, 2/2/4 से 2/2/17 खसरा शामिल हैं नंबर 8//17/2112, 19/2/11, 19/2/2, 19/2/3/1, 19/2/3/2, 19/2/5, 22/40/2 खसरा नंबर 18//2/2/1 खसरा नंबर 8//19/1/4, 19/1/3, 19/1/5, 19/1/6, 19/1/8, 19/1/9, 19/1/10, 19/1/7, 22/18, 19/1/11 से 19/1/5, 22/12, 22/13, 22/16, 22/14, 22/15, 19/2/4/1, 19/2/4/2, 19/1/19, 19/1/20 खसरा नंबर 18//2/2/16, 19/2/9 राजस्व संपदा मौजा गौंछी, तहसील बल्लभगढ़-फरीदाबाद, वर्तमान में संपत्ति संख्या एमसीएफ-6613, पश्चिमी भाग, पुरानी सब्जी मंडी के पास, सारन स्कूल रोड, पर्वतीय कॉलोनी, एनआईटी-फरीदाबाद, राजस्व संपदा मौजा गौंछी, तहसील, बल्लभगढ़, जिला फरीदाबाद, 220 वर्ग गज, श्री त्रिवेणी प्रसाद पांडे से संबंधित है। संपत्ति का भौतिक कब्जा 05.09.2023 को लिया गया था।

सीमाएं : पूर्व : श्री चिरंजी लाल की निजी संपत्ति, पश्चिम : अन्य संपत्ति, उत्तर : 18 फीट रोड, दक्षिण : अन्य संपत्ति।

आरक्षित मूल्य / अपसेट मूल्य जिसके नीचे संपत्ति नहीं बेची जा सकती : रु. 69,69,000.00 (रुपये उनहत्तर लाख उनहत्तर हजार मात्र)

जमा/निविदा की जाने वाली बयाना राशि : रु. 6,96,900.00 (रुपये छह लाख छियानबे हजार नौ सौ मात्र)

2. औद्योगिक संपत्ति का वह समस्त भाग जिसमें खसरा संख्या 8/23, 18, 19/1/1, 19/1/2, 19/1/16, 19/1/17, 19/1/18, 19/1/20, से 19/1/29, 19/2/1, 19/2/6, 19/2/7, 19/2/8, 19/2/10, 19/2/13 से 19/2/19, 22/1 से 22/11, 22/17, 22/19 से 22/39, 22/40/1, 22/41, 22742, 22/43 खसरा नंबर 18//2/2/2, 2/2/4 से 2/2/17 खसरा नं. 8//17/2/12, 19/2/11, 19/2/2, 19/2/3/1, 19/2/3/2,19/2/5, 22/40/2 खसरा नं.18//2/2/1 खसरा नं. 8//19/1/4, 19/1/3, 19/1/5, 19/1/6, 19/1/8, 19/1/9, 19/1/10, 19/1/7, 22/18, 19/1/11 से 19/1/5, 22/12, 22/13, 22/16, 22/14, 22/15, 19/2/4/1, 19/2/4/2, 19/1/19, 19/1/20 खसरा नं. 18//2/2/16, 19/2/9 मौजा गौंची की राजस्व संपदा में, तहसील बल्लभगढ़-फरीदाबाद, वर्तमान में संपत्ति संख्या एमसीएफ-6613, पूर्वी भाग, पुरानी सब्जी मंडी के समीप, सारन स्कूल रोड, पर्वतीय कॉलोनी, एनआईटी- फरीदाबाद मौजा गौंची की राजस्व संपदा, तहसील, बल्लभगढ़, फरीदाबाद जिला, 220 वर्ग गज की माप, श्रीमती सुमन पांडे से संबंधित है। संपत्ति का भौतिक कब्ज़ा 05.09.2023 को लिया गया था।

सीमाएं : पूर्व : अन्य संपत्ति, पश्चिम : श्री चिरंजी लाल की निजी संपत्ति, उत्तर : 18 फीट रोड, दक्षिण : अन्य संपत्ति।

आरक्षित मूल्य/अपसेट मूल्य जिसके नीचे संपत्ति नहीं बेची जा सकती : रु. 68,31,640.00 (रुपये अड़सठ लाख इकतीस हजार छह सौ चालीस मात्र) जमा की जाने वाली / निविदा की जानेवाली बयाना राशि : रु. 6,83,164.00 (रुपये छह लाख तिरासी हजार एक सौ चौंसठ मात्र)

3. आवासीय संपत्ति का वह हिस्सा और पार्सल जिसमें मकान नंबर 639/3, खरसा नंबर 8/23, प्लॉट नंबर 20, 21 और 22 पर स्थित है, कुल मिलाकर 60 वर्ग गज की दूरी पर है, (प्लॉट नंबर 20 और 21, प्रत्येक 20 वर्ग गज की दूरी पर श्री त्रिवेणी प्रसाद पांडे के नाम पर है और प्लॉट नंबर 22, 20 वर्ग गज की दूरी पर है श्रीमती सुमन पांडे के नाम पर धारित), पुरानी सब्जी मंडी के पास, पर्वतीय कॉलोनी, एनआईटी, फरीदाबाद, हरियाणा। संपत्ति का भौतिक कब्ज़ा 14.09.2023 को लिया गया था।

सीमाएँ : पूर्व : मकान संख्या 638/1, पश्चिम : श्री एस. पी. थलीवाल का मकान संख्या 340, उत्तर : अन्य संपत्ति, दक्षिण : सड़क।

आरक्षित मूल्य/अपसेट मूल्य जिसके नीचे संपत्ति नहीं बेची जा सकती : रु. 29,00,000.00 (केवल उनतीस **लाख रुपये) जमा/निविदा की जाने वाली बयाना राशि :** रु. 2,90,000.00 (रुपये दो लाख नब्बे हज़ार मात्र)

(उधारकर्ता / बंधककर्ता का ध्यान, सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है)।

(यह सूचना उधारकर्ता/गारंटर हेतु सुरक्षा हित प्रवर्तन नियम-2002 के नियम (9) के उप-नियम (1) के तहत सूचना के रूप में भी काम करेगा)।

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया कर्नाटक बैंक की वेबसाइट यानी **www.karnatakabank.com** में "30.07.2025 को मेगा ई-नीलामी" शीर्षक के तहत लिंक देखें।

ई-नीलामी 30.07.2025 को 11:30 बजे से 12:30 बजे तक 05 मिनट के असीमित विस्तार के साथ पोर्टल **https://bankauctions.in/** के माध्यम से आयोजित की जाएगी। इच्छुक बोलीदाता को **https://bankauctions.in/** पर अपना नाम पंजीकृत करना होगा और यूजर आईडी और पासवर्ड निःशुल्क प्राप्त करना होगा और मैसर्स 4क्लोजर, 605ए, 6वीं मंजिल, मैत्रीवनम, अमीरपेट, हैदराबाद-500038, संपर्क नंबर 040-23836405, मोबाइल 8142000809, ई-मेल : **info@bankauctions.in** से ई-नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा (संभवतः 29.07.2025 को)।

दिनाँक : 23/06/2025 — **कृते कर्नाटक बैंक लिमिटेड**

स्थान : फरीदाबाद — **मुख्य प्रबंधक तथा प्राधिकृत अधिकारी**

easy ईजी होम फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: 302, तीसरी मंजिल, सर्वोच्च चैम्बर्स, दत्ताजेय रोड और पी.पी. रोड (एक्सटेंशन), सांताक्रूज वेस्ट, मुंबई – 400054. **सीआईएन:** U74999MH2017PLC297819

वेबसाइट: www.easyhf